



कार्यालय उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई, देहरादून।
(जलागम प्रबन्ध निदेशालय इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी देहरादून)

ईमेल : pdilsp.wmd@gmail.com

वेबसाइट www.wmduk.gov.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362

फैक्स नं०. 0135-2768712, 2760362

आदेश सं० २५३०/११-८ (१) (ILSP) दिनांक: देहरादून, २३ मई, २०१४

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 13.05.2014 को उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई सोसाइटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। अध्यक्ष यू०डब्ल्यू०डी०यू० द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार निम्न प्रकार से स्वीकृति प्रदान की जाती है-

वाह्य सहायतित परियोजनाओं में तैनात पूर्व कालिक सरकारी कार्मिकों के लिये प्रोत्साहन भत्ता आदि की दरों का निर्धारण शासनादेश सं० 209/XXVII(7)/प्र० श०/2006 दिनांक 16.11.2006 द्वारा किया गया है, इसी प्रकार एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में कार्यरत पूर्व कालिक सरकारी कार्मिकों को उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित दरों पर परियोजना भत्ता के प्रस्ताव का शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया तथा उपरोक्त शासनादेश के पैरा-7 में उल्लिखित मोबाइल फोन के व्यय प्रतिपूर्ति के निर्धारण हेतु शासी निकाय द्वारा निम्नानुसार मोबाइल फोन की प्रतिपूर्ति ग्राम स्तर तक के अधिकारी को अनुमन्य की है।

1. परियोजना निदेशक एवं उच्च अधिकारी	रु० 1500/- प्रतिमाह
2. उप परियोजना निदेशक एवं श्रेणी-। के अधिकारी	रु० 1000/- प्रतिमाह
3. श्रेणी-।। के अधिकारी-	रु० 800/- प्रतिमाह
4. यूनिट स्तर अधिकारी-	रु० 500/- प्रतिमाह
5. ग्राम स्तर अधिकारी-	रु० 250/- प्रतिमाह



(एम०एच० खान)

मुख्य परियोजना निदेशक/सदस्य सचिव
यू०डब्ल्यू०डी०यू०, शासी निकाय
जलागम प्रबन्ध निदेशालय

पत्रांक २५३० /११-८ (१) (ILSP) दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक ILSP, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
2. परियोजना निदेशक (प्रशासन)/ग्राम्या-2 जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
3. अपर सचिव जलागम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।



(एम०एच० खान)

मुख्य परियोजना निदेशक/सदस्य सचिव
यू०डब्ल्यू०डी०यू०, शासी निकाय
जलागम प्रबन्ध निदेशालय